सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 27/07/2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 388/2023 , हेमलता देवी और अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 30/05/2023 के सम्बंध में–

महोदय्–

सादर अवगत कराना है कि योजित ओ0ए0 नं0– 388/2023 में दिए गए आदेश दिनांक 30/05/2023 के आधार पर गठित संयुक्त जॉच समिति द्वारा दिनांक 18/07/2023 को ग्राम सभा एकली चकसरिया में स्थित स्टोन क्रेशर प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें संयुक्त जॉच समिति को भारी अनियमितता मिलि गॉव में स्थित प्रत्येक क्रेशर प्लांट मानक विहिन मिलें उक्त समिति के साथ प्रार्थीगण भी मौके पर मौजूद रहे जिसमें देखा गया कि किसी भी क्रेशर प्लांट पर किसी मानक को पुरा नहीं किया गया है साथ ही श्रीमान जी को निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थीगण द्वारा अवैध खनन व अवैध ब्लास्टिंग कि बात भी अपने प्रार्थना पत्र में कही गई थी लेकिन संयुक्त जॉच समिति के द्वारा सिर्फ क्रेशर प्लांटों का ही निरीक्षण किया गया जब हमलोगों ने जॉच समिति से खदानों के भी निरीक्षण कि बात कही तो उनके द्वारा कहा गया कि हमलोंगों को सिर्फ क्रेशर प्लांटों का ही निरीक्षण करना है जबकि ग्रामसभा एकली मौजा से बिल्कुल सटे हुए ग्रामसभा रामपुर ढ़बहीं में पड़ने वाले खनन पट्टों में अवैध रुप से बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग होने से लोगों के घरों में दरारे पड़ गई है और पास में ही प्राथमिक विद्यालय एकली स्थित है जिसमें बहुत ज्यादा दरारें पड़ गई है उक्त विद्यालय में सौकड़ों बच्चे पढ़ते हैं जाहां किसी अनहोनी कि आशंका हमेंशा बनी रहती है । साथ ही महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त खनन स्थल जरगो बॉध से बिल्कुल सटा हुआ है जिसका नक्सा संलग्न है और खनन कार्य बांध के तल से निचे तक हो रहा है जिसके कारण बाध का पानी भी उक्त खनन स्थल के जरिए बाहर आ रहा है बंधे और क्षेत्र के लोगों के जीवन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही गंम्भीर मामला है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि संयुक्त जॉच समिति से उक्त ग्राम सभा रामपुर ढ़बही व ग्रामसभा एकली में पड़ने वाले सभी खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण कराते हुए पर्यावरण व जरगो बॉध को क्षति पहुचाने वाले खनन पट्टों व सभी क्रेशर प्लांटों को तत्काल बंद करने का कष्ट करें जिससे पर्यावरण व जागों बांध को होने वाले भारी क्षति को रोका जा सके आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी
हेमलता देवी
हेमलता देवी
ग्रा0–व पो0–एकली (चकसरिया) मिर्जापुर
मो0– 9580557523

संलग्नक–

क्रेशर प्लांटों व खनन स्थलों का लोकेशन के साथ लिया गया कुछ फोटो।

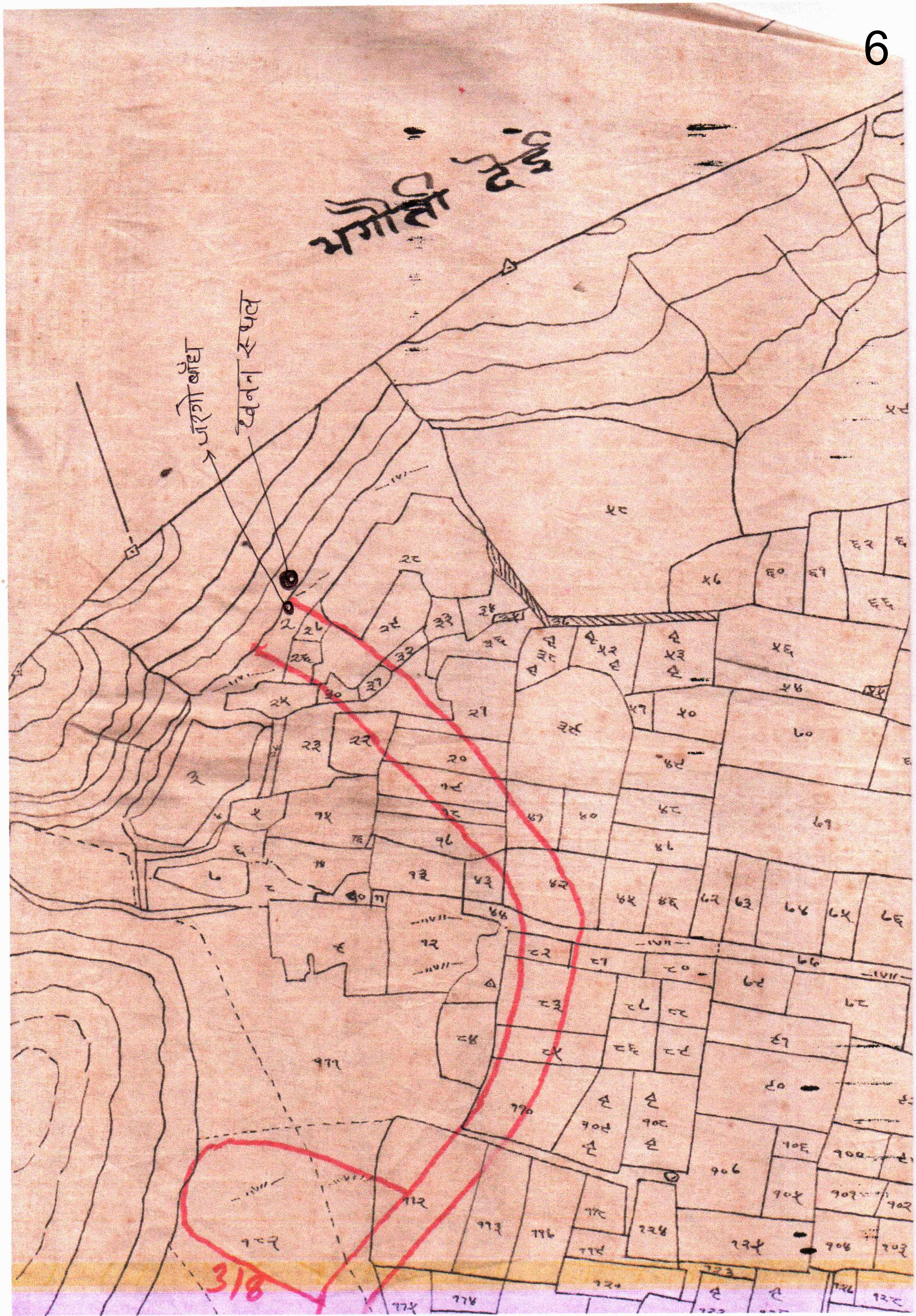
भगौती
खनन स्थल
318

स्पीड पोस्ट

7

भारत सरकार
Government of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय
Directorate General of Mines Safety

सत्यमेव जयते

फोन सं०- 0120- 2705364
फैक्स सं०- 0120- 2705365

संख्या- S-29025/26/2021/NZ/RTI/ 85 गाजियाबाद, दिनांक 30/06/2021

सेवा में,
श्री रामबली सिंह
निवासी - गाँव - एकली (सरिया) पोस्ट-एकली (अहरौरा)
जनपद - मीरजापुर 231301

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संबंध मे

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्र सं०-कुछ नहीं, दिनांक 30/04/2021 को कृपया संदर्भित करें। इस संबंध में आपके द्वारा चाही गई जानकारी उत्तरी जोन, गाजियाबाद के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई। जोकि इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है:-
श्री, एम.के. मालवीय खान सुरक्षा उपमहानिदेशक(वि०), खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद 826001

भवदीय

(एम. सहाय)
खान सुरक्षा निदेशक(वि०) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
उत्तरी अंचल, गाजियाबाद

संलग्न:- यथोक्त।

भारत सरकार
Government of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय
Directorate General of Mines Safety

संख्या वाराणसी क्षेत्र(उ०अं०)/RTI/07/2021/556 दिनांक 04/06/2021

पेषक:

खान सुरक्षा निदेशक
वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।

790
8/6/21

सेवा में:

श्री मधुकर सहाय, खान सुरक्षा निदेशक (वि०)
एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, उत्तरी अंचल,
सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स - II, कमरा संख्या : 201-203,
ब्लॉक - 'B', के०एन० नगर, हापुड़ रोड, गाजियाबाद - 201 002 (उ० प्र०) ।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना की जानकारी के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अपने दिनांक 28.05.2021 के पत्र संख्या 29025/26/2021/NZ/RTI/71 एवं उसके साथ संलग्नित श्री रामबली सिंह द्वारा प्रेषित दिनांक 'शून्य' के आवेदन को संदर्भित करें, जिसके द्वारा उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रेषित किया है।

संलग्नित पत्र में मांगी गयी सूचना, इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है ।

✓ संलग्न:- यथोक्त।

भ व दी य

04.06.2021

खान सुरक्षा निदेशक
वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी

सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित प्रति
खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी उत्तरी जोन, गाजियाबाद

श्री रामबली सिंह, ग्राम-एकली (सरिया) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित मांगी गयी जानकारी बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

सूचना क्र० (1):- **यह कि ग्राम सभा-रामपुरढ़बई, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०) के आराजी सं०-1 में खनन पट्टाधारक सभाजीत यादव, पुत्र श्री भोला यादव, ग्राम-बुढ़ीपुर, पोस्ट-रामपुर, जनपद-गाजीपुर को विभाग द्वारा ब्लास्टिंग की अनुमति दी गयी है अथवा नहीं ।**: - आपको अवगत किया जाता है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर-श्री सभाजीत यादव की रामपुर ढ़वही सैण्ड स्टोन खदान (भू० सं० 01, क्षे०-2.50 एकड़) को ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गयी है ।

सूचना क्र० (2):- **यह कि उपरोक्त खनन पट्टाधारक को ब्लास्टिंग की अनुमति है तो उसकी वैधता की अवधि कब से कब तक है ।** : - इस संबंध में जानकारी सूचना क्र० (1) में दी गयी है ।

सूचना क्र० (3):- **यह कि किसी व्यक्ति के निजी काश्त, वाँध, कृषिक्षेत्र, आबादी और रोड से ब्लास्टिंग की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ।** : - आपको अवगत किया जाता है कि खान अधिनियम, 1952 के तहत निर्मित धात्वीक खान विनियम, 1961 के रेग्यूलेशन 164(1A) & 164(1B) में इस संदर्भ में प्रावधान उल्लेखित है, जिसको खान सुरक्षा महानिदेशालय के Online Portal <u>http://www.dgms.gov.in</u> पर Upload है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है ।

सूचना क्र० (4):- **यह कि उपरोक्त खनन पट्टा धारक द्वारा ब्लास्टिंग की अनुमति लेते समय बाँध, निजी कृषि भूमि, रोड और आबादी क्षेत्र की दूरी कितनी दर्शायी गयी है।** : - इस संबंध में जानकारी सूचना क्र० (1) में दी गयी है ।

04.06.2021

खान सुरक्षा निदेशक
वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी

खान सुरक्षा महानिदेशालय - वर्ष 1902 से खनिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध
Directorate General Of Mines Safety - Protecting Miner's Safety & Health Since 1902
कार्यालय पता- S-2/639-36, वरूणा विहार कॉलोनी, सेंट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221002,
दूरभाष एवं फैक्स 0542-2284911, ईमेल - dgmsvaranasi@gmail.com

2XVG+2V, Bhagauti Dei, Uttar Pradesh 231301, India

Latitude
25.043328333333334°

Longitude
82.97714166666668°

Local 10:05:19 AM
GMT 04:35:19 AM

Altitude 111 m
Tuesday, 25.07.2023

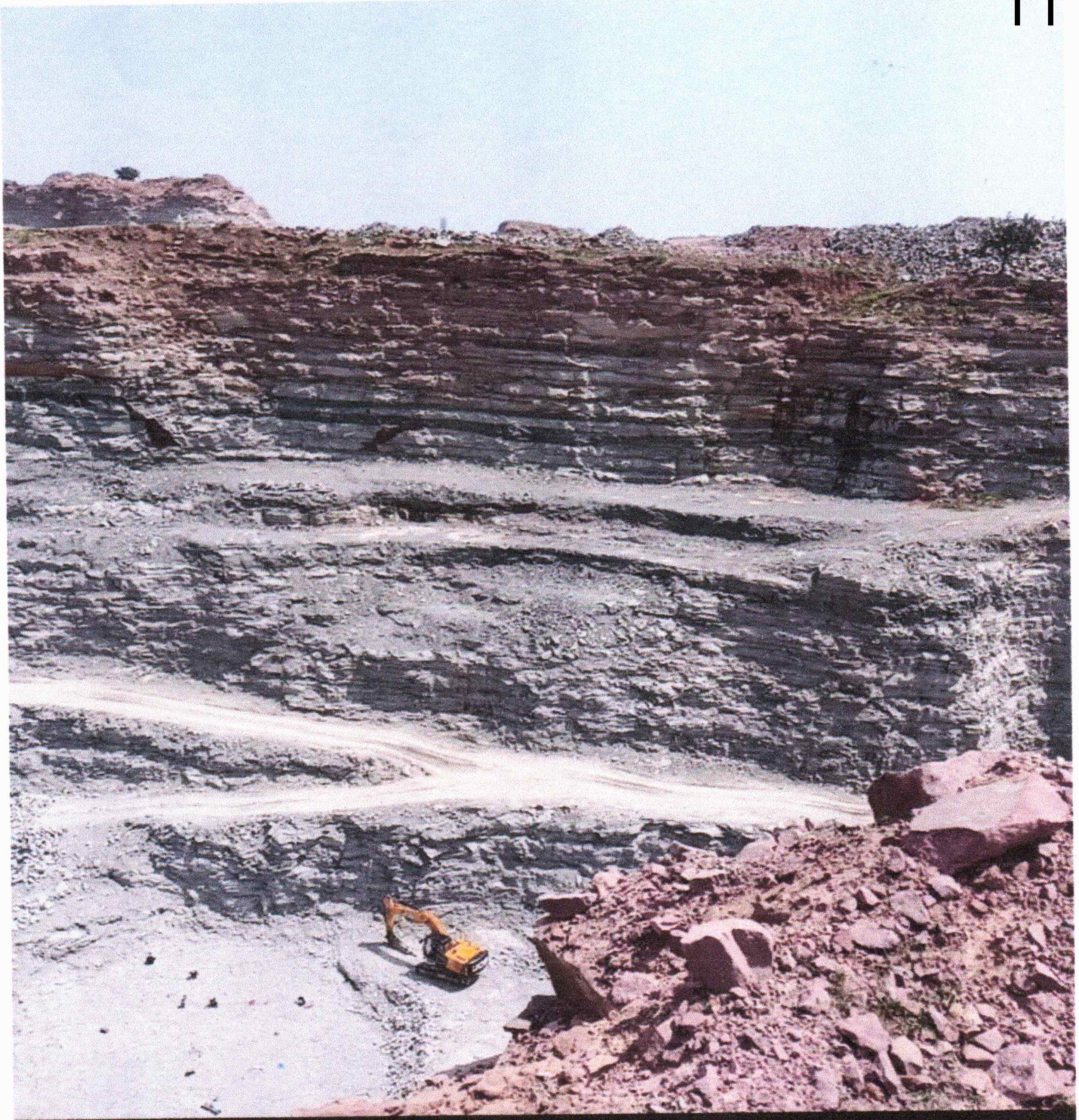

2XVG+2V, Bhagauti Dei, Uttar Pradesh 231301, India

Latitude
25.04332833333334°

Longitude
82.97714166666668°

Local 10:05:06 AM
GMT 04:35:06 AM

Altitude 111 m
Tuesday, 25.07.2023

2XVG+2V, Bhagauti Dei, Uttar Pradesh 231301, India

Latitude
25.04332833333334°

Longitude
82.97714166666668°

Local 10:05:10 AM
GMT 04:35:10 AM

Altitude 111 m
Tuesday, 25.07.2023

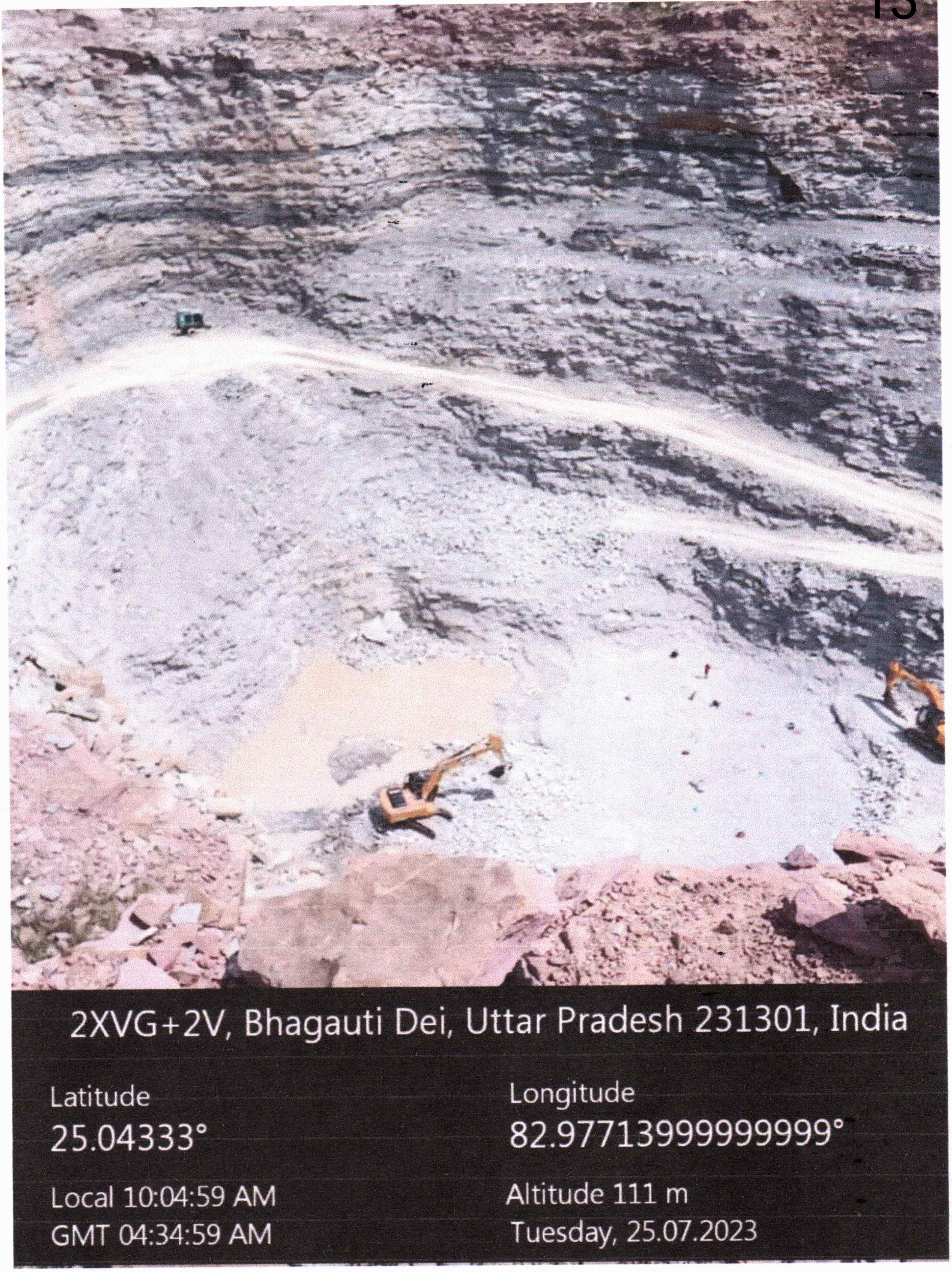
2XVG+2V, Bhagauti Dei, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.04333°
Longitude
82.97713999999999°
Local 10:04:59 AM
GMT 04:34:59 AM
Altitude 111 m
Tuesday, 25.07.2023

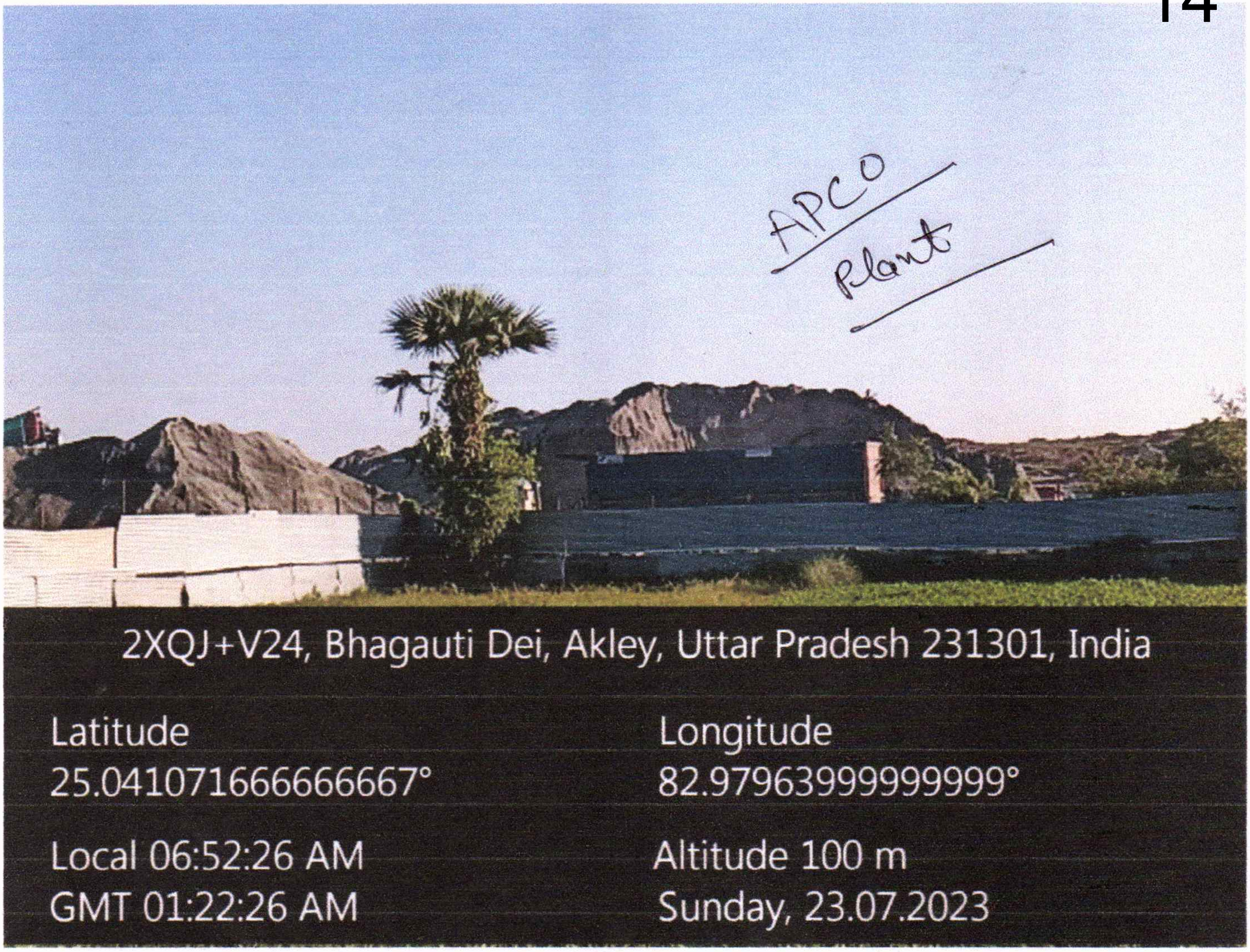
APCO Plant
2XQJ+V24, Bhagauti Dei, Akley, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.041071666666667°
Longitude
82.97963999999999°
Local 06:52:26 AM
GMT 01:22:26 AM
Altitude 100 m
Sunday, 23.07.2023

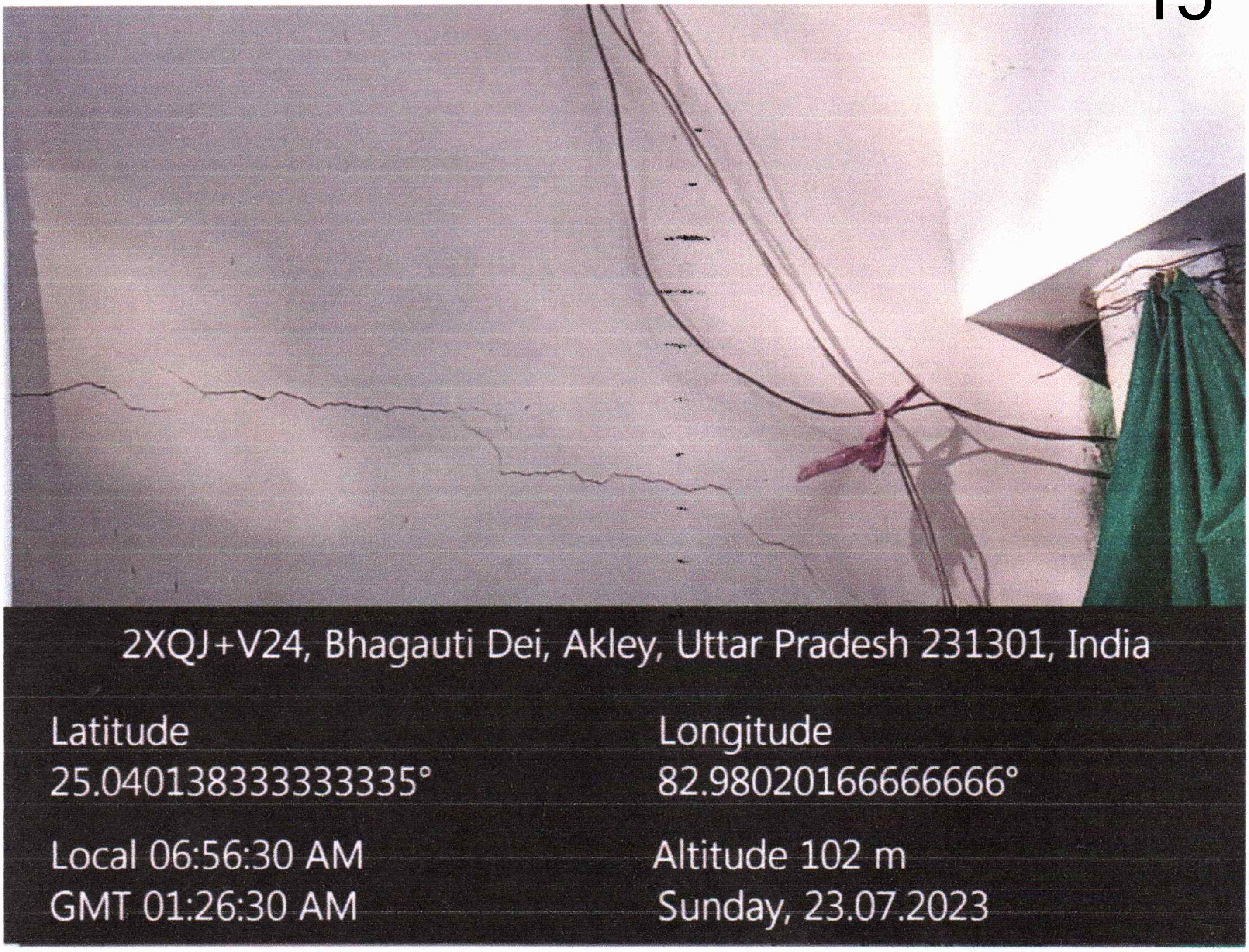
2XQJ+V24, Bhagauti Dei, Akley, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.040138333333335°
Longitude
82.98020166666666°
Local 06:56:30 AM
GMT 01:26:30 AM
Altitude 102 m
Sunday, 23.07.2023

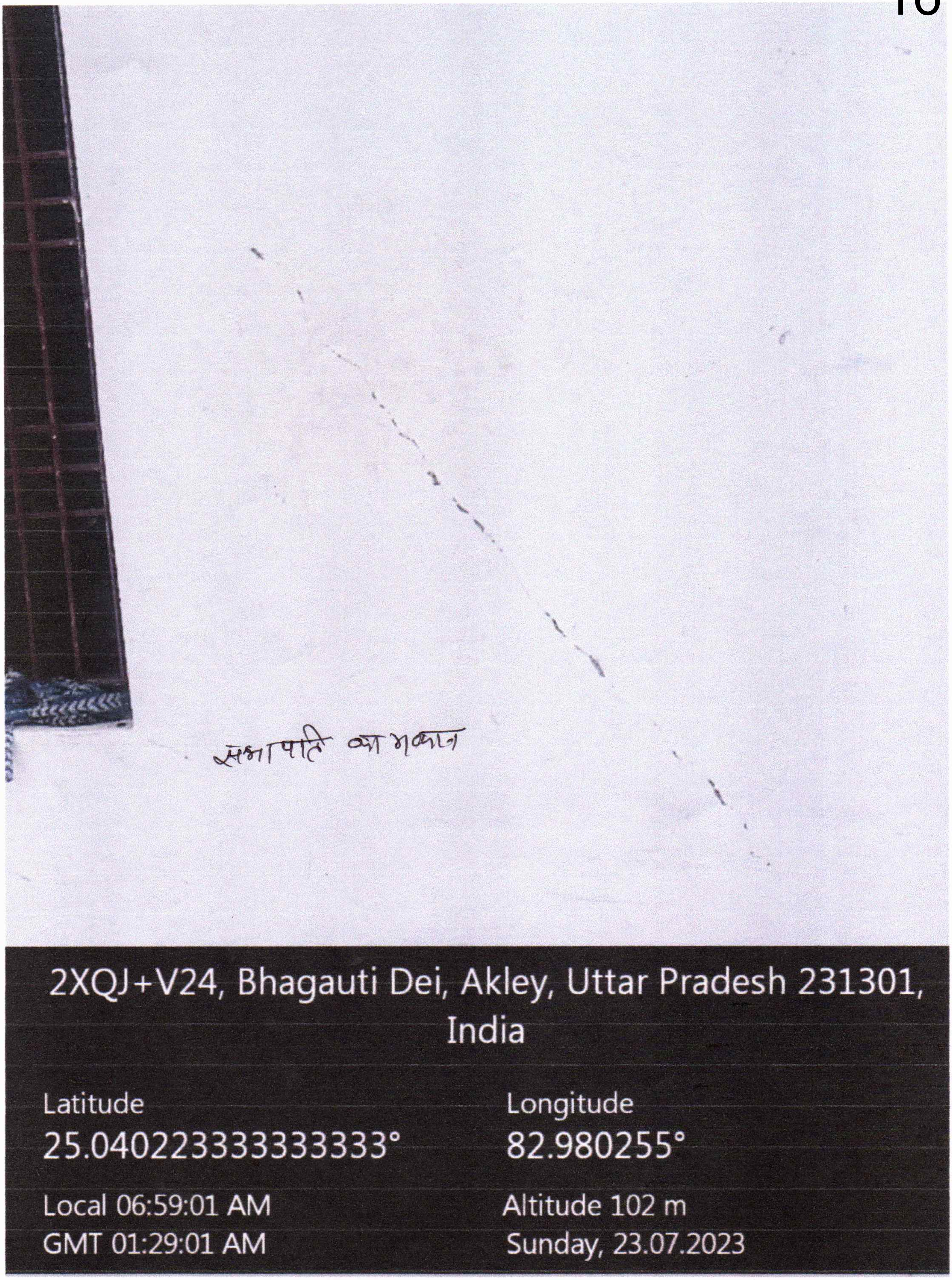
सभापति का मकान
2XQJ+V24, Bhagauti Dei, Akley, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.040223333333333°
Longitude
82.980255°
Local 06:59:01 AM
GMT 01:29:01 AM
Altitude 102 m
Sunday, 23.07.2023

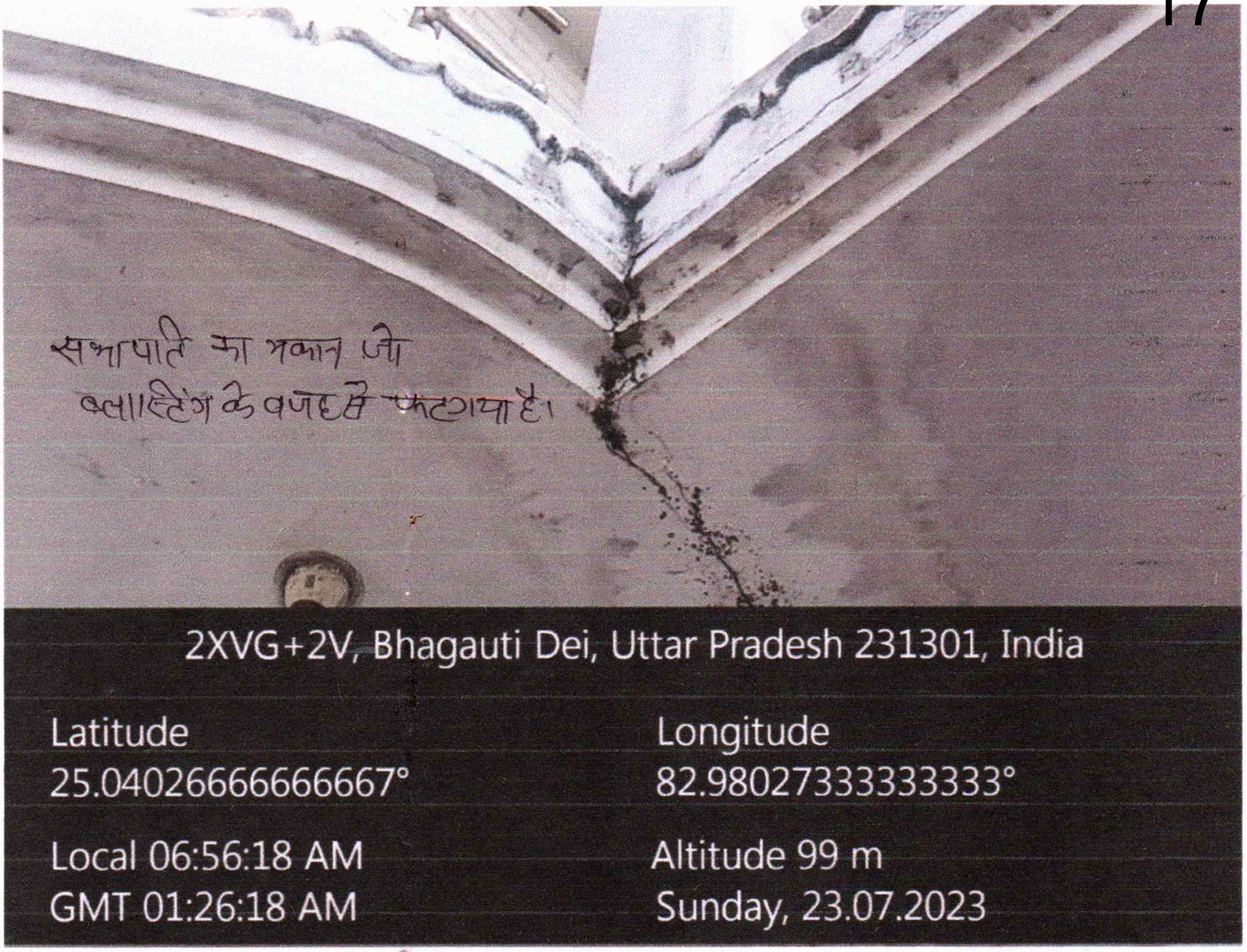
सभापति का मकान जो
ब्लास्टिंग के वजह से फटगया है।
2XVG+2V, Bhagauti Dei, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.040266666666667°
Longitude
82.98027333333333°
Local 06:56:18 AM
GMT 01:26:18 AM
Altitude 99 m
Sunday, 23.07.2023

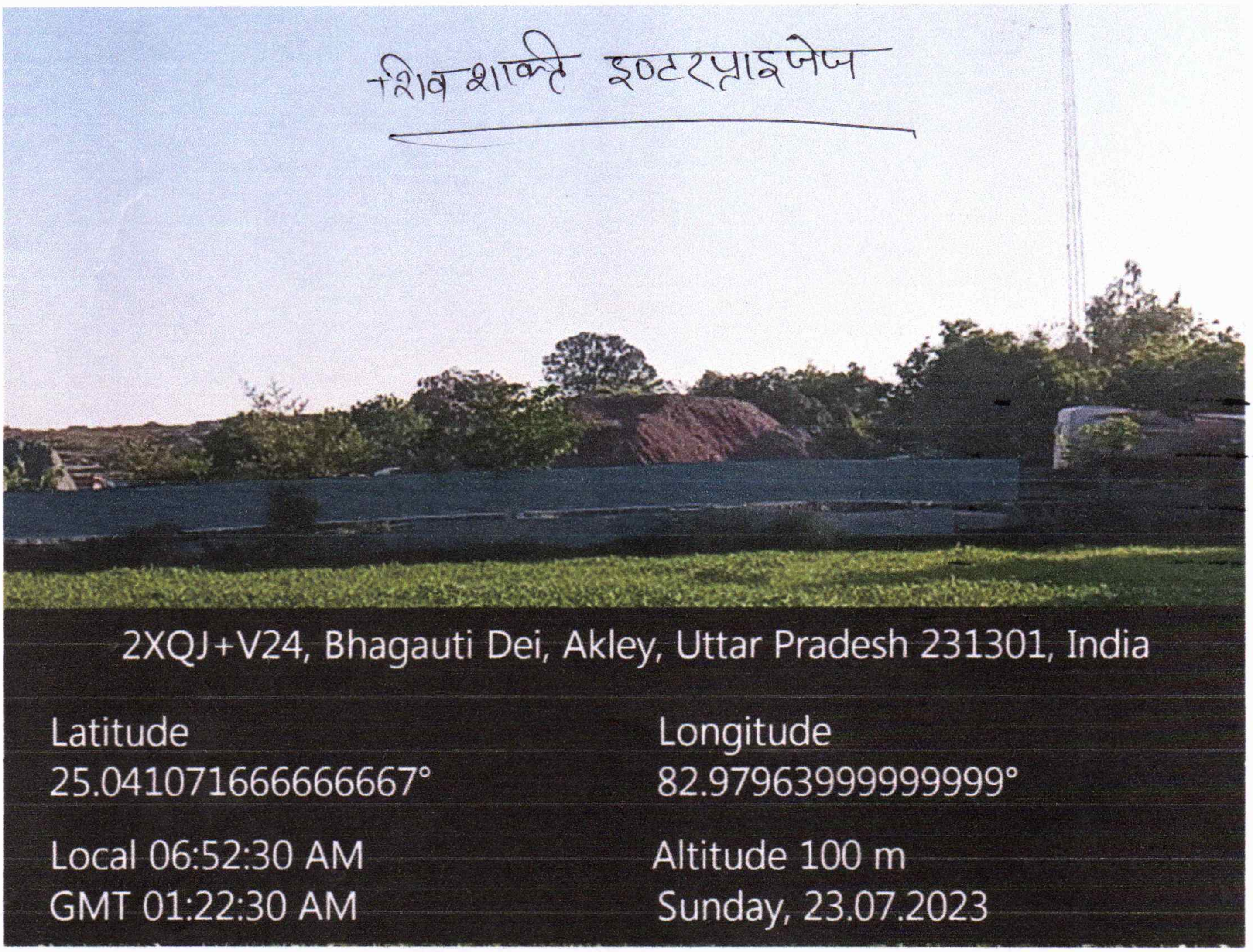
शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज
2XQJ+V24, Bhagauti Dei, Akley, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.041071666666667°
Longitude
82.97963999999999°
Local 06:52:30 AM
GMT 01:22:30 AM
Altitude 100 m
Sunday, 23.07.2023

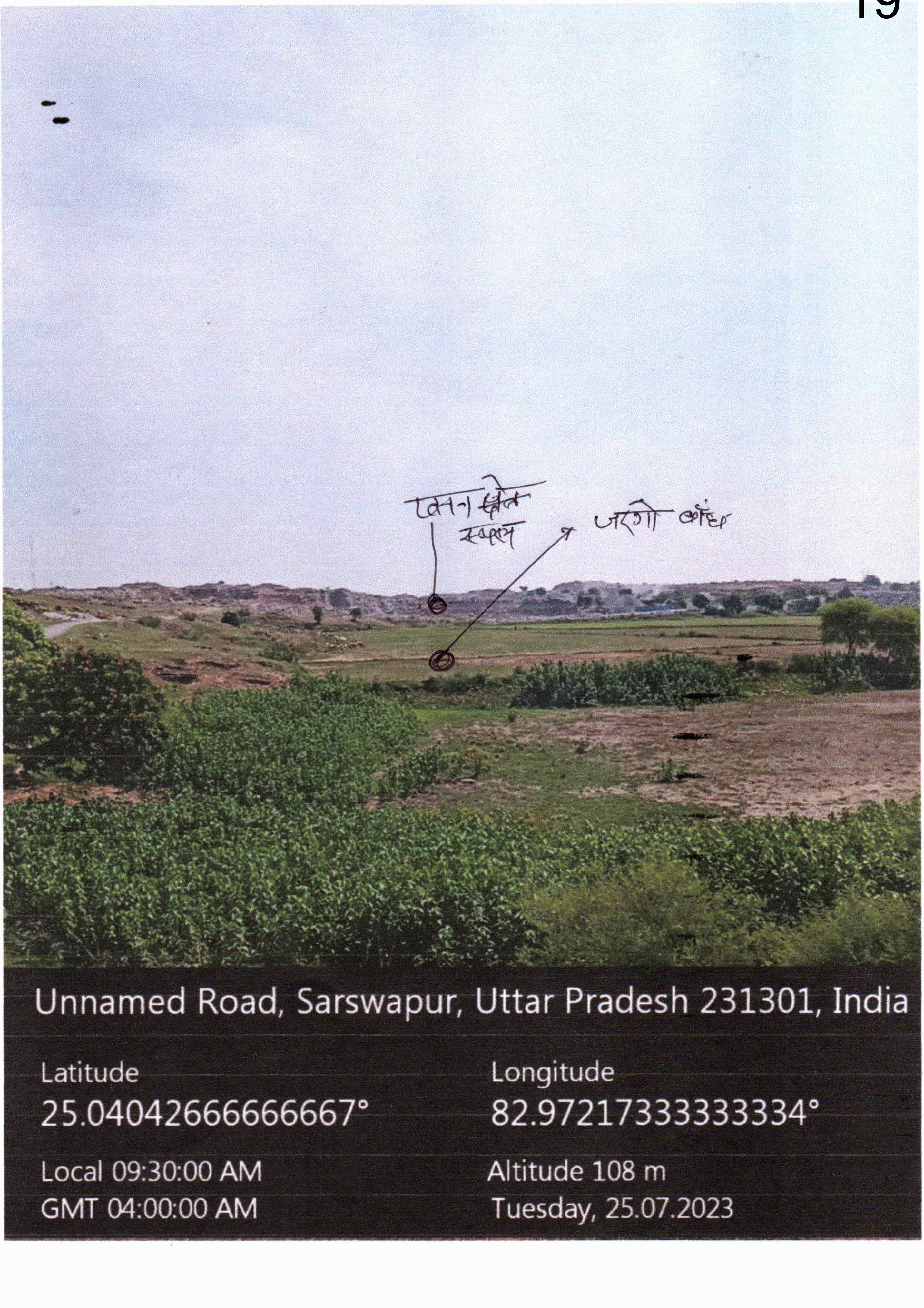
खनन क्षेत्र स्थल
जरगो बाँध
Unnamed Road, Sarswapur, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.04042666666667°
Longitude
82.97217333333334°
Local 09:30:00 AM
GMT 04:00:00 AM
Altitude 108 m
Tuesday, 25.07.2023

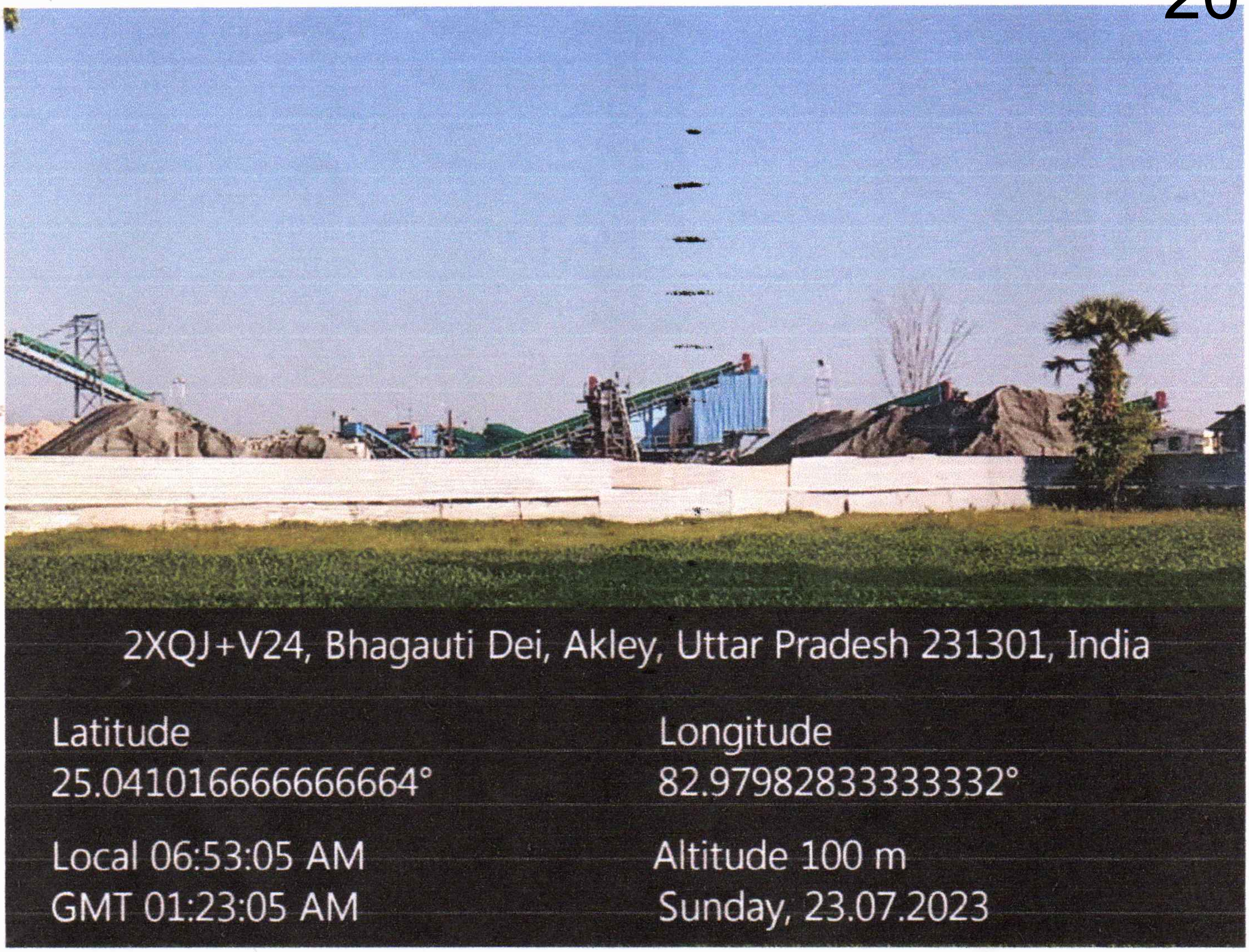
2XQJ+V24, Bhagauti Dei, Akley, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.041016666666664°
Longitude
82.97982833333332°
Local 06:53:05 AM
GMT 01:23:05 AM
Altitude 100 m
Sunday, 23.07.2023

2XQJ+WHX, Ahraura, Bhagauti Dei, Uttar Pradesh
231301, India

Latitude	Longitude
25.039854999999996°	82.98151333333333°
Local 07:16:59 AM	Altitude 100 m
GMT 01:46:59 AM	Sunday, 23.07.2023

20 जुलाई 36 | 28

...मनिगढ़ा मार्ग स्थित मुड़पेली गांव

19/07/2023

एसडीएम ने टीम के साथ की चार क्रशर प्लांटों की जांच, मिलीं कमियां

चुनार तहसील क्षेत्र के रामपुर ढबही क्षेत्र स्थित क्रशर प्लांट की जांच करते एसडीएम चुनार नवनीत सेहारा (बीच में) • जागरण

संवाद सूत्र, चुनार (मीरजापुर): राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति ने मंगलवार को चुनार तहसील के भागवत परगना क्षेत्र में संचालित 4 क्रशर प्लांटों में तय मानकों की स्थलीय जांच की गई। उपजिलाधिकारी चुनार नवनीत सेहारा के नेतृत्व में क्रशर प्लांटों की जांच में मात्र एक प्लांट व्यवस्था की दृष्टि से संतोषजनक पाया गया। इसके अलावा तीन में कमियां मिलीं।

एनजीटी में की गई शिकायत के बाद हेमलता देवी व अन्य बनाम उप्र राज्य मामले में एनजीटी की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में रामपुर ढबही गांव स्थित चार क्रशर प्लांटों पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने जांच की। एसडीएम ने बताया कि एप्को प्लांट पर व्यवस्था संतोषजनक मिला। इसके अलावा तीन अन्य मे. शिवशक्ति इंटरप्राइजेज, मे. केकेके कंस्ट्रक्शन, मे. मारूति नंदन स्टोन क्रशर प्लांट पर उपस्थित लोगों ने बताया कि प्लांटों का संचालन नहीं हो रहा है। एसडीएम ने बताया कि जांच के दौरान यहां बाउंड्रीवाल, हरित पट्टिका के लिए होने वाले पौधारोपण के साथ ही पानी के छिड़काव आदि की व्यवस्था भी मानक के अनुरूप नहीं थी। वाटर मीटर भी नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि प्लांटों की जांच के दौरान मौके पर मिली कमियों के आधार पर संयुक्त आख्या रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से एनजीटी को प्रेषित की जा रही है। एनजीटी की सख्ती के बाद एक माह के भीतर लगातार दूसरी बार प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग व पुलिस विभाग की जांच के बाद खनन बेल्ट में

एसपी के निर्देश पर जेसीबी चालक के खिलाफ मुकदमा

संवाद सूत्र, ड्रमंडगंज (मीरजापुर) : एसपी संतोष कुमार मिश्र के निर्देश पर घायल श्रमिक मामले में हलिया पुलिस ने मंगलवार को जेसीबी मशीन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घायल के चाचा की तहरीर पर कार्रवाई हुई।

कोतवाली देहात क्षेत्र के अनंतराम पट्टी गांव निवासी शिवकुमार ने तहरीर में बताया कि भतीजा नीरज हलिया-ड्रमंडगंज मार्ग के हथेड़ा गांव में टीवीएस ऐजेंसी के पास बीते 20 मई को अन्य श्रमिकों के साथ नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य में काम कर रहा था।

इसी बीच जेसीबी मशीन के चालक रोहित ने लापरवाही पूर्वक भतीजे को धक्का मार दिया, जिससे दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई और उसका दाहिना पैर टूट गया। थानाध्यक्ष विष्णु प्रभा सिंह ने बताया कि जेसीबी मशीन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लोशन
दाद, खाज, खुजली?
125 वर्षों से
आखिरी इलाज!
SAPAT Dr SKIN LOTION ITCH, ECZEMA & RINGWORM
TRADE ENQUIRY 8953140992

खून बढ़ाये स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं निखार के लिये जोश बढ़ाये
टेक्नोफार्म का शीकेयर सीरप
कमर दर्द, भूख न लगना, थकान आयुर्वेदिक टॉनिक
कठिन दर्द के लिये इम्यूनिटी बढ़ाए
पत्नी खुश दाम्पत्य सुखी
Available at TATA 1mg
अपना विवरण भेजें: 8601841515

Scholarships available for meritorious students
Engineering: B.Tech, M...
CSE, Civil, Mechanical, Bio-Te...
Mechatronics, CSE (Data Scie...
AI/ML), Lateral Entry, (Diplon...
Law: LLB, LLM, BBA LL...
Management: BBA, MBA
Dual Specialisation, Hospital a...
Management, MBA Elite
Journalism & Mass Comm...
Sciences: BCA, MCA,
B.Sc (Forensic Science, Agricul...
B.Sc (Hons.) (Biotechnology, M...
M.Sc (Biotechnology, Microbio...
Other Programs Offere...
30+ Global Collaborations
FORT HAYS STATE UNIVERSITY
New York Institute of Technology
Central College
0120-4862200 9667...
Campus: Noida International Un...

JAGRAN SCHOOL OF LAW
V.M.S.B. Uttarakhand Technical University
Under the aegis of Shri Puranchandra Gupta Smarak Trust
Affiliated to Uttarakhand Technical University &
Recognised by Bar Council of India
A path to Legal Expertise
BA LL.B. (5 Years Integrated Program) BBA LL.B. (5Years Integrated Program) LL.B. (3 Years Program) LL.M. (1 Year Program)
100% Results with Gold Medalist Students
REGISTRATION & ADMISSION OPEN • Session 2023-24 • Eligibility XII & Graduation
For Special Consideration* Please visit our Website (Admission - Fee & Dress Code)
Online Registration & Admission Facility Also Available *Terms & Conditions Apply
INFRASTRUCTURE :- Wi-Fi Friendly Campus, Air conditioned Library/Moot Court/Computer Lab, Other Civil Construction as per the norms of Bar Council of India. In Campus Hostel Facility
Dedicated, Experienced & well qualified faculty.
An educational initiative of दैनिक जागरण
3288-GHA, Shankarpur Hukumatpur, Near Selaqui, P. O.- Rampur, Dehradun, Uttarakhand
www.jagranschooloflaw.com • e-mail : info@jslddn.com

ने खुद करती हूं और दूसरों को भी सजग करती हूं। बहुत जरूरी होने पर आप मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, हम सभी को कोरोना का टीका जरूर लगवाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोग सजगता बरतें।

– सुप्रभात, मीरजापुर
– हिमांशी जायसवाल, शिक्षक, पीलीकोठी, मीरजापुर।

गुडमार्निंग स्तंभ में अगर आप भी अपनी भागीदारी चाहती हैं तो अपना संदेश व तस्वीर वाट्सएप नंबर 9415627555 पर भेजें।

को घर के पास पैदल जा रहा था कि देवरी बाजार की तरफ से तेज गति से आ रही जीप ने धक्का मार दिया। इससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन-फानन में परिजन बालक को चिकित्सालय ले जा रहे थे कि रास्ते में दम तोड़ दिया। बालक की मौत से परिजन रोने बिलखने लगे। पुलिस ने बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार को मृत बालक के पिता जयकरन ने अज्ञात जीप चालक के खिलाफ तहरीर देकर लापरवाही पूर्वक तेज गति से गाड़ी चलाने से बेटे की मौत होने पर मुकदमा दर्ज कराया है।

धूल के गुबार से बेहाल ग्रामीणों ने रोके क्रशर प्लांटों के पहिए

30/04/2021

अहरौरा के सोनपुर गांव स्थित क्रशर प्लांट पर आक्रोशित लोग • जागरण

जागरण संवाददाता, अहरौरा (मीरजापुर) : क्षेत्र के सोनपुर से भगौतीदेई गांव में उड़ रही धूल के गुबार से अजीज आकर गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने क्षेत्र के दर्जनों क्रशर प्लांटों के पहिए को रूकवा दिया। इससे क्षेत्र के क्रशर प्लांट संचालकों में खलबली मच गई।

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में दर्जनों ऐसे क्रशर प्लांट संचालित हो रहे हैं जो प्रदूषण को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। विभागीय संरक्षण प्राप्त किए प्लांट संचालक बिना रोक-टोक के मनमाने तरीके से प्लांटों का संचालन कर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि क्रशर प्लांट के संचालन के दौरान प्लांटों पर फौव्वारा लगाना अनिवार्य होता है और पानी का छिड़काव हमेशा होता रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर पानी का छिड़काव और बाउंड्री वाल देखने को मिलता है। जबकि धरातल पर स्थितियां काफी विपरीत है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि कोविड महामारी में सबसे ज्यादा श्वास संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है और लोगों की जान चली जा रही है। प्रदूषण रोकने को कौन कहे वहीं क्षेत्र के प्लांट संचालक और ज्यादा प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। थानाध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा धूल उड़ने की शिकायत को लेकर कुछ प्लांट को चलाने से मना किया गया था। प्लांट संचालकों को सूचना दिया गया है कि बिना पानी के छिड़काव किए प्लांटों का संचालन नहीं करे वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत पर छोटे संचालकों पर होती है कार्रवाई

सड़कों पर उड़ती हुई धूल की शिकायत जब ग्रामीणों द्वारा होती है, तो छोटे प्लांट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर विभाग पल्ला झाड़ लेता है। जबकि बड़े प्लांट संचालक मनमाने तरीके से बगैर मानक को पूरा किए ही प्लांटों का संचालन कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व दो प्लांट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जबकि बड़े और रसूखदार संचालक मानक को ताक पर रखकर धूल उड़ा रहे हैं।

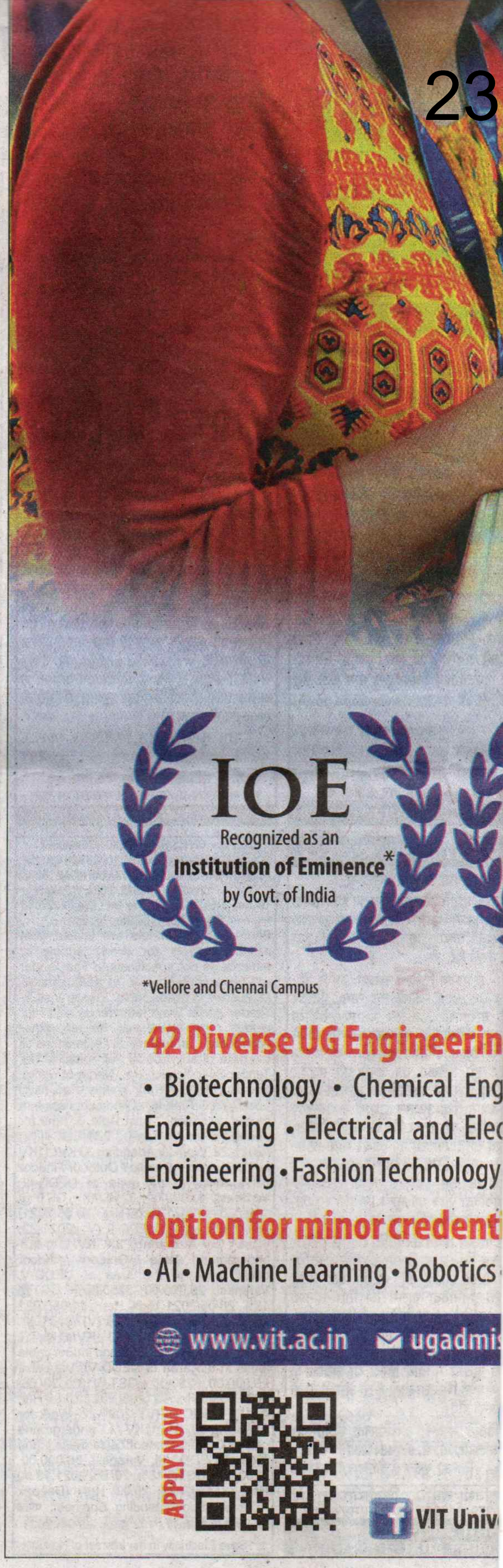

मेरे सपने

मेरे आदर्श मेरे माता-पिता और डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। शिक्षक बनकर देश व समाज की सेवा करना चाहती हूं। नए साल में पूरे मनोयोग से पढ़ाई करने के साथ परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कोशिश करूंगी।

– **दिव्या केसरी**, कक्षा पांच अहरौरा, मीरजापुर।

अवैध खनन से पहाड़ियां खत्म

210 खनन पट्टे आवंटित, 500 से ज्यादा स्थानों पर खनन जारी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जिले के हर क्षेत्र में बेरोक-टोक पहाड़ियों पर ब्लास्ट कर उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। सरकारी कागजों पर 210 खनन पट्टे अलाट किए गए हैं, लेकिन कम से कम 500 स्थानों पर खनन किए जा रहे हैं।यही हाल रहा तो कुछ वर्षों में यह वादियां भी गायब हो जाएंगी।

वर्ष 1920 के बाद से जीव-जंतु यहां से पलायन कर मध्य प्रदेश के जंगलों में जाने लगे। इस पर प्रशासनिक पाबंदी व देखरेख के अभाव में अहरौरा, मड़िहान, चुनार, राजगढ़, हलिया, लालगंज, छानबे आदि इलाकों में पहाड़ों पर कुछ वैध तो कई अवैध खनन को दिन-रात ब्लास्टिंग की जा रही है। खनन कार्य तेज होने से इन इलाकों में पहाड़ खाइयों में तब्दील होते जा रहे हैं।

मिलीभगत

- हरी-भरी वादियों के लिए मशहूर जिले में लगातार हो रहा ब्लास्ट
- विभागीय लापरवाही के चलते नष्ट हो रही प्राकृतिक संपदा

जंगलों में मिलती थी औषधि : जनपद के हलिया, मड़िहान, लालगंज, अहरौरा, पड़री, चुनार आदि जंगली इलाकों में कई औषधियां मिलती थीं। खास तौर से तेजपत्ता, लौंग, चिरौजी, लाची समेत कई औषधि मिली हैं, लेकिन अब ये खत्म होती जा रही हैं।

तीन को अनुमति, दो दर्जन लोग कर रहे ब्लास्ट : जनपद के पहाड़ों में ब्लास्टिंग करने की अनुमति मात्र तीन लोगों को है। इसमें दो सोनभद्र और एक मीरजापुर के व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक दर्जन से अधिक लोग अहरौरा, मड़िहान, चुनार, राजगढ़, डगमगपुर आदि इलाकों में बिना अनुमति के ब्लास्टिंग कर रहे हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य बचाने के लिए अवैध खनन व पेड़ों की कटाई को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इनके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसडीएम, सीओ एवं स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में टीमें बनाई गई हैं।

– **यूपी सिंह**, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व।

107 क्रशर व कटर प्लांट में 12 कर रहे नियमों का पालन : जनपद में 107 क्रशर व कटर प्लांट है। इसमें से 12 प्लांटों के मालिक पर्यावरण के नियमों का पालन कर रहे हैं। शेष किसी ने प्रदूषण फैलने पर रोक लगाने के लिए कोई काम नहीं किया है। ऐसे में प्लांटों से उड़ रहे डस्ट के कारण अब तक 30 टीबी व दमा के रोगी पाए जा चुके हैं।

ग्रामीणों ने की एएसपी से कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कोन ब्लाक के जगापट्टी गांव के ग्रामीणों ने अपर पुलिस अधीक्षक को पत्रक सौंपा। पत्रक के माध्यम से नाला बांधने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। शिवचंद्र मौर्य ने कहा कि गांव में बहने वाला नाला पीडब्ल्यूडी की पटरी के गड्ढों में जाकर मिलता है। गांव के ही उमाशंकर बिंद, साधु बिंद, विजयनाथ मौर्य हरिशचंद्र बिंद ने अवरोधित कर दिया है। खेतों में पानी भर जा रहा है। किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों की शिकायत के बावजूद थानाध्यक्ष एफआइआर दर्ज नहीं कर रहे हैं।

हैंडपंप खराब होने से हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता जमालपुर : क्षेत्र के बनौली ग्राम पंचायत के ढ़ेबरा गांव में तालाब के पास शिवा सिंह की परचून की दुकान के सामने लगा हैंडपंप कई सालों से खराब है।

इसके कारण अगल-बगल के एक दर्जन परिवारों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने हैंडपंप ठीक कराए जाने की बार-बार मांग की, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्राम के मुन्ना बियार, नंदू बियार, ज्ञानदास खरवार, शिवा सिंह, सारनाथ खरवार, राजेश सिंह आदि ने हैंडपंप रिबोर कराकर चालू कराने की मांग की।

मनमानी बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान

राजगढ़ : विकास खंड के ग्रामीण इलाकों में मनमानी बिजली कटौती शुरू हो गई। सबसे ज्यादा कटौती रात के समय में की जा रही है। दिन भर में दस बार से ज्यादा ट्रिपिंग हो रही है। क्षेत्र के राजकुमार, महेश, श्याम, रूपेश आदि ने बताया कि कागजों पर 18 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन सिर्फ चार घंटे ही मिलती है।

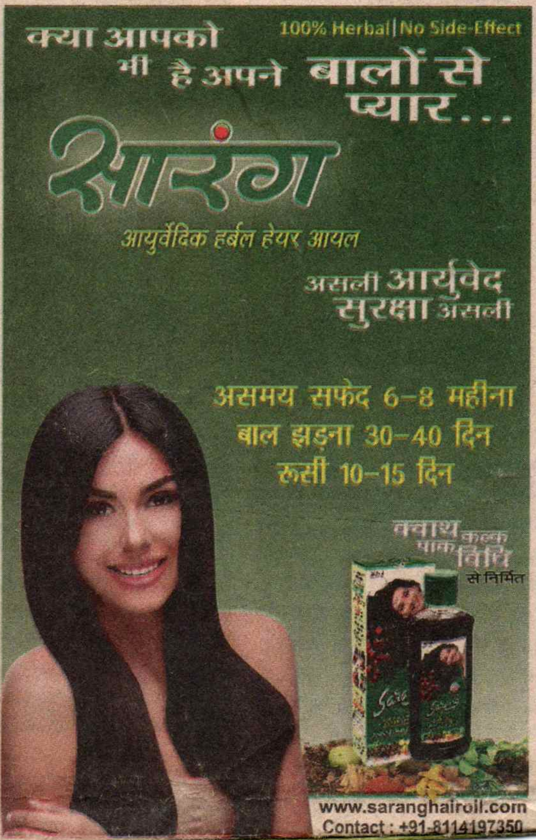

आज का **मौसम**
आसमान में बादल छाए रहेंगे। धूप भी रह सकती है।

34.0° अधिकतम तापमान | 22.0° न्यूनतम तापमान | सूर्य अस्त (आज) 5.33 उदय (कल) 5.57

मीरजापुर जाग

॥ प्रणाम ॥

आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं बस आप दूसरे की मदद करना शुरू कर दें।-जिग जिगलर

- नवरात्र: नवरात्र मेला के नौवें दिन मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन सुबह चार बजे।
- प्रशिक्षण: राजकीय पालीटेक्निक में एनसीसी कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण सुबह सात बजे।

अवैध खनन में 1.24 करोड़ का जुर्माना

जनपद के तीन पट्टाधारकों पर आरक्षित लीज से दूर खनन कराने का आरोप

सख्ती

- 24 पर फिनिंशिग पिलर नहीं लगाने पर 50-50 हजार का जुर्माना
- अवैध खननकर्ताओं पर प्रशासन ने कसी नकेल, होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : खनिज विभाग ने अवैध खनन करने वालों की नकेल कसना शुरू कर दिया है। इनके खिलाफ अभियान चलाने पर जनपद के तीन लीज धारक अपने आरक्षित स्थल से दूर अवैध खनन कराते हुए पाए गए। विभाग ने इनके खिलाफ एक करोड़ 24 लाख 515 रुपये का जुर्माना लगाते हुए रायल्टी जमा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 24 पट्टाधारकों को लीजों पर सीमांकन पिलर नहीं लगाने के लिए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। विभाग की इस कार्रवाई से पट्टेधारकों समेत अवैध खनन कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

खनन अधिकारी केके राय को शिकायत मिली थी कि जनपद में कई लीजधारक अपने पट्टे स्थल पर खनन नहीं कर रहे हैं। उससे हटकर अवैध तरीके से खनन कराने का काम कर रहे है। इससे उनकी लीज में खनन नहीं हो रहा है जिसके चलते उनको रायल्टी कम देनी होगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए खनन अधिकारी ने टीम के साथ जनपद के अहरौरा व रामपुर ढबही में निरीक्षण किया तो तीन पट्टाधारक अपने पट्टे से दूर स्थित एक स्थान पर अवैध तरीके से खनन कराते हुए पाए गए। इसमें रामपुर ढबही में शिवशक्ति इंटर प्राइजेस के सभाजीत, रामपुर ढबही में ही वंशराज व अहरौरा के भगौती देई के हरिशंकर सिंह शामिल है। सभाजीत के विरुद्ध 37 लाख 80 हजार रुपये, वंशराज के विरुद्ध 44 लाख दस हजार, हरिशंकर के विरुद्ध 42 लाख 59 हजार 400 का जुर्माना किया। इसके अलावा अहरौरा, डगमगपुर, मड़िहान, लालगंज आदि स्थानों के 24 पट्टे धारकों को सीमाकंन का पिलर नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी पट्टा धारक अपने आरक्षित लीज से दूसरे स्थान पर खनन नहीं करें अन्यथा पकड़े जाने पर उससे उस स्थान की पूरी रायल्टी वसूल की जाएगी। उन्हों सभी को चेताया कि सभी पट्टाधारक अपने लीज का सीमांकन कर पिलर लगा लें।

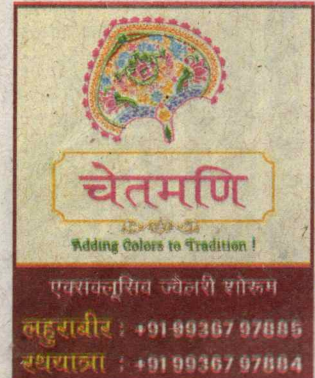

लापता युवक घायलावस्था में मिला

जासं, लालगंज (मीरजापुर) : क्षेत्र के बसकोप गांव स्थित घर से लापता युवक गंभीर हालत में दूसरे दिन रात में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वजनों को सूचना देने के साथ ही घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। साथ ही मामले की जांच कर रही है।

बसकोप गांव निवासी आलोक दुबे (20) पुत्र स्वर्गीय शिवचंद सोमवार को घर से लालगंज के लिए कहकर निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन आलोक की मां शिक्षामित्र अर्चना देवी ने लालगंज थाने में पुत्र के गायब होने का तहरीर दी। उसी दिन देर रात गंभीर रूप से घायल आलोक बल्हिया गांव के पास सड़क किनारे पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वजनों को सूचित करने के बाद लालगंज अस्पताल पर ले कर गई। यहां से बेहतर उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

विवाहिता ने फांसी से झूलकर दी जान

जासं, लालगंज : क्षेत्र के मैना गोसाई गांव निवासी विवाहिता पिंकी (28) ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। घटना की जानकारी होते ही स्वजन रोने बिलखने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया।

मैना गोसाई
गांव निवासी
पिंकी रात में
खाना खाने के
बाद फांसी के
फंदे पर झूल
गई थी। इसकी
खबर लगते
ी स्वजन रोने
गे और घटना
ी जानकारी
त्काल पुलिस
ो दी। पुलिस
पनिरीक्षक
जय श्रीवास्तव
के पर पहुंच
और शव
वे उतरवाकर
च पड़ताल
ते हुए पीएम
लिए भेज
। हालांकि
दिन शव
मार्टम
भेजा

College Code (Engineering:133) (Pharmacy : 908) www.niet.co.in

NIET Greater Noida — GET FUTURE READY — Estd.2001 — AN AUTONOMOUS INSTITUTE

1ST AUTONOMOUS PRIVATE INSTITUTE OF UTTAR PRADESH STATUS BY UGC

Approved by AICTE, MHRD, Govt. of India, New Delhi & Affiliated to AKTU, Lucknow

ADMISSION OPEN FOR SESSION 2021 (MANAGEMENT QUOTA)

JOIN THE HIGHEST RANKED AUTONOMOUS Private Institute of UP

nirf NIRF-2021

B.Tech In
- Computer Science & Engineering (CSE, IOT, AI, AI&ML, CSBS, DS, CS)
- Information Technology
- Electronics & Communication Engineering
- Mechanical Engineering
- Biotechnology

NBA ACCREDITED — SCAN TO REGISTER

CALL NOW 8010500700 | 8448384601/11

19, Knowledge Park-II, Institutional Area, Greater Noida (UP) E-mail: admission@niet.co.in

Annexure - I

जनपद-मीरजापुर, उत्तर प्रदेश के अहरौरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिन खदानों का धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत इस निदेशालय में वर्ष-2021 का वार्षिक रिटर्न (ऑनलाइन द्वारा) प्राप्त हुए हैं, उन खदानों के नाम व पता, पट्टेधारकों का नाम व पता एवं खदानों में विस्फोटक के उपयोग संबंधी जानकारी, उक्त रिटर्न (दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक) के आधार पर इस प्रकार है:-

क्र० सं०	खदान का नाम व पता	पट्टेधारक का नाम व पता	विस्फोटक का उपयोग (हाँ/नहीं)	विस्फोटक का खपत	
				विस्फोटक (Kg. में)	डिटोनेटर (Nos.)
1.	रामपुर ढबई सैण्ड स्टोन खदान, गाटा सं०-01, ग्राम-रामपुर ढबई, तहसील-चुनार, थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	श्री सभाजीत यादव, पता:ग्राम-बुढिपुर (ढबई), पोस्ट-रामपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजिपुर (उ० प्र०)।	नहीं	--	--
2.	सोनपुर सैण्ड स्टोन खदान, आराजी सं०-1क, ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, पोस्ट+थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	श्री दिलिप सुर्यवंशी, पता: प्लॉट नं०-05, इनसाइड गोविन्द नारायन सिंह गेट, चुना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म० प्र०)।	हाँ	10	10
3.	सोनपुर सैण्ड स्टोन खदान, ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, पोस्ट+थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	श्री सिद्धनाथ सिंह एवं श्री बुद्धिराम सिंह, पता: ग्राम-सोनपुर, तहसील-चुनार, पोस्ट-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	हाँ	7500	1500
4.	जिगना सैण्ड स्टोन खदान, ग्राम-जिगना, तहसील-चुनार, पोस्ट+थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	श्रीमती मालती देवी, पता: ग्राम-जिगना, तहसील-चुनार, पोस्ट-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	हाँ	9525	2744
5.	जिगना सैण्ड स्टोन खदान, ग्राम-जिगना, तहसील-चुनार, पोस्ट+थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	श्री कुमुद कुमार, पता: कोईरान बाजार, तहसील-चुनार, पोस्ट-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	हाँ	9575	14190
6.	जिगना सैण्ड स्टोन खदान, गाटा सं०-399मि०, एच.नं. 754, ग्राम-जिगना, तहसील-चुनार, पोस्ट+थाना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	श्री अरविन्द कुमार, पता: कोईरान बाजार, तहसील-चुनार, पोस्ट-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर (उ०प्र०)।	हाँ	9650	13010

सूचना के अधिकार के तहत
प्रमाणित प्रति
06.09.2022
खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत)
एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
उत्तरी जोन, गाजियाबाद